सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 908 /सो.आ.नि.-3/474(III)/ 2022
दिनाँकः 30 दिसम्बर, 2022

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद को छोड़कर),
उत्तर प्रदेश।

विषयः महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत सोशल आडिट में पाई गई कमियों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक्शन टेकेन रिपोर्ट (ए०टी०आर०) को नरेगासॉफ्ट पर अपलोड करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 1182/सो.आ.नि.-3/480/2019, दिनांक 29/01/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय अनियमितता/ दुरूपयोग के प्रकरणों में क्लोजर रिपोर्ट अंकित किए जाने के पूर्व उक्त प्रकरणों का साक्ष्य सहित पूर्ण विवरण सोशल आडिट निदेशालय को प्रेषित करते हुए निदेशालय की सहमति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के क्रम में जनपदों द्वारा वित्तीय अनियमितता/ दुरूपयोग के प्रकरणों, जिनमें धनराशि की वसूली हो गई है अथवा जिनमें क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा धनराशि की वसूली न होना बताया गया है, ऐसे प्रकरणों को जिलाधिकारी द्वारा निक्षेपित कराते हुए साक्ष्य सहित पूर्ण विवरण प्रेषित किए जा रहे हैं। निदेशालय से गुण-दोष के आधार पर परीक्षण करने के उपरांत जिलाधिकारी से निक्षेपित प्रकरणों को क्लोज किए जाने की सहमति दिए जाने की व्यवस्था है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि जिन वित्तीय अनियमितता/ दुरूपयोग के प्रकरणों में धनराशि की पूर्ण वसूली कर ली गई है तथा क्रियान्वयन एजेन्सी से धनराशि की वसूली के संबंध में पूर्ण साक्ष्य प्राप्त हो चुके हों, ऐसे प्रकरणों में एम०आई०एस० पर अपलोड ए०टी०आर० में यदि वसूल की गई धनराशि प्रदर्शित हो रही हो तो ऐसे प्रकरणों को जनपद स्तर से क्लोज किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार दी गई व्यवस्था का पालन करते हुए वित्तीय अनियमितता/ दुरूपयोग के प्रकरण, जिनमें धनराशि की पूर्ण वसूली कर ली गई है, को जनपद स्तर से क्लोज करने तथा शेष वित्तीय अनियमितता/ दुरूपयोग के प्रकरणों में पूर्व की भांति क्लोजर रिपोर्ट अंकित करने के पहले प्रकरणों को जिलाधिकारी द्वारा निक्षेपित कराते हुए साक्ष्य सहित पूर्ण विवरण सोशल आडिट निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे निदेशालय की सहमति के उपरांत प्रकरणों को क्लोज कराए जाने की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

30/XII/22

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी (गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद को छोड़कर), उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी (गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद को छोड़कर), उ०प्र०।
4. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ०प्र०।

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक